**भारत सरकार**

**इस्पात मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 159**

**18 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए**

**सीपीएसई में इस्पात के उत्पाद की लागत**

**159. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात लोक उद्यम (सीपीएसई) की क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सीपीएसई में प्रत्येक टन इस्पात उत्पादन की लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तुलना में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), विशाखापत्तनम में उत्पादन की लागत अधिक होने के क्या कारण हैं;

(घ) विगत पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक सीपीएसई की लाभप्रदता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) आरआईएनएल को उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए न तो आवंटित की गई और न ही उपलब्ध कराई गई, आबद्ध लौह अयस्क खान का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने आरआईएनएल और सेल को विलय करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त किया है; और

(छ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**

**इस्पात राज्य मंत्री** **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क): इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 2 इस्पात विनिर्माता सीपीएसई हैं, नामतः, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)। विगत 5 वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान क्रूड इस्पात उत्पादन और क्षमता उपयोग का ब्यौरा निम्नानुसार है:

**(हजार टन)**

| **स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **वर्ष** | **2017-18** | **2018-19** | **2019-20** | **2020-21** | **2021-22** |
| **क्षमता** | 17519 | 19132 | 19632 | 19632 | 20632 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **उत्पादन** | 15022 | 16263 | 16156 | 15213 | 17363 |
| **% उपयोग** | 86 | 85 | 82 | 77 | 84 |
| **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)** | | | | | |
| **क्षमता** | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| **उत्पादन** | 4731 | 5233 | 4749 | 4302 | 5272 |
| **% उपयोग** | 75 | 83 | 75 | 68 | 84 |

स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)

(ख) और (ग): इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, उत्पादन की लागत वैश्विक बाजार की परिस्थितियों, कच्चे माल की कीमतों के रुझानों, लॉजिस्टिक लागत, बिजली तथा ईंधन की लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। इस्पात के उत्पादन की लागत संबंधी निर्णय प्रौद्यो-वाणिज्यिक आधारों पर एकल कंपनी द्वारा लिए जाते हैं।

(घ): पिछले 5 वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सेल तथा आरआईएनएल की लाभप्रदत्ता का विवरण निम्नानुसार है:

| **वित्तीय वर्ष** | (करोड़ रुपये) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **सेल** | | **आरआईएनएल** | |
| | **कर-पूर्व लाभ** | **कर-पश्चात् लाभ** | **कर-पूर्व लाभ** | **कर-पश्चात् लाभ** |
| **2017-18** | (-)759 | (-)482 | (-)1911.45 | (-)1369.01 |
| **2018-19** | 3338 | 2179 | (-)306.89 | 96.71 |
| **2019-20** | 3171 | 2022 | (-)4287.51 | (-)3910.17 |
| **2020-21** | 6879 | 3850 | (-)1259.02 | (-)1012.16 |
| **2021-22** | 16039 | 12015 | 941.58 | 913.19 |

(ङ): आरआईएनएल के पास कोई आबद्ध लौह अयस्क खदान नहीं है। इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 17(क) के अंतर्गत मलंगटोली और खंडाधार के लौह अयस्क ब्लॉकों में से एक को आरआईएनएल के पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया है। आरआईएनएल ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 17(क)(2क) के अंतर्गत लौह अयस्क भंडार के आरक्षण के लिए ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया है।

(च) और (छ): सेल तथा आरआईएनएल के विलय का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचारधीन नहीं है।

****